

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-03/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 22.03.2016

1. मोहन सिंह पुत्र अविलाख सिंह, आयु-53 वर्ष,
  2. बृजेन्द्र सिंह पुत्र अविलाख सिंह, आयु-48 वर्ष,
  3. जोर सिंह पुत्र हिमाचल सिंह, आयु-68 वर्ष,
  4. रणवीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, आयु-48 वर्ष,
- जाति सिकरवार ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम बकनासा (पुरोहितन का पुरा), परगना गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

..... अपीलार्थीगण/वादीगण

विरुद्ध

ओमकार सिंह पुत्र जनक सिंह तोमर आयु-62 वर्ष, जाति तोमर ठाकुर, निवासी ग्राम बकनासा (पुरोहितन का पुरा), परगना गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

..... प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 69ए/14 में घोषित निर्णय दिनांक 07.11.2015 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

( आज दिनांक 21.09.17 को घोषित )

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध यह अपील धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 69ए/14 उनवान मोहन सिंह एवं अन्य बनाम ओमकार सिंह में घोषित निर्णय दिनांक 07.11.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ, ब से लाल स्याही से चिह्नित विवादित दीवार तथा क, ख से लाल स्याही से चिह्नित विवादित नाली के संबंध में प्रस्तुत किया गया,

स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत रहे हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी ग्राम बकनासा (पुरोहितन का पुरा), परगना गोहद के निवासी है तथा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार वादीगण के मकान पूर्व दिशा की ओर है जिसके पश्चिम दिशा की ओर गली है तथा गली के पश्चिम दिशा की ओर प्रतिवादी का मकान अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादी के मकानों के मध्य लगभग 10 फुट चौड़ी गली है।
3. अपीलार्थी/वादीगण के विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि वादीगण के मकान के मुख्य दरवाजे सदैव से पश्चिम दिशा की ओर है और दरवाजों के आगे 10 फुट खरंजे वाली गली है तथा घरों का पानी निकलने के लिये नाली है जिसके बाद प्रतिवादी के मकान की बगली है। प्रतिवादी के मकान का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है जिसके सामने 10 फुट की खरंजा गली व पानी निकलने की नाली है। प्रतिवादी के मकान का दरवाजा कभी भी पूर्व दिशा वाली गली में नहीं रहा, अपितु सदैव से उत्तर दिशा वाली गली में रहा है। वादीगण के मकानों के सामने वाली गली, वादीगण के निजी उपयोग की है, प्रतिवादी का इस गली से कोई संबंध नहीं है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शों में प्रतिवादी के मकान के पूर्व दिशा वाली दीवार को लाल रेखाओं से अ, ब अक्षरों से तथा नाली को समांतर रेखाओं से रेखांकित कर क, ख अक्षरों से चिह्नित किया गया है। उक्त दीवार एवं नाली को आगे के पदों में विवादित दीवार एवं विवादित नाली के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादीगण के मकानों का दैनिक उपयोग का पानी विवादित नाली से होकर गांव के बाहर निकलता है। गांव में 10-10 फुट की गलिया होने के कारण मकानों के दरवाजे एक ही तरफ है। वादीगण के मकान के सामने की उपरोक्त गली में वादीगण के दरवाजें है और प्रतिवादी के मकान के दरवाजे उत्तर दिशा वाली गली में पूर्वजों के समय से है। दिनांक 03.03.2014 को प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी की वह वादीगण के मकानों का पानी उसके मकान के सामने बनी विवादित नाली में से होकर नहीं निकलने देगा और विवादित दीवार में वादीगण के मकान के सामने नवीन दरवाजा बनायेगा, प्रतिवादी द्वारा विवादित दीवार में दरवाजा न बनाये जाने तथा विवादित नाली में से होकर निकलने वाले वादीगण के मकानों के पानी के प्रवाह को न रोके जाने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूपसे प्रत्य्यान करते हुये यह अभिवचन किया गया कि उक्त मकान प्रतिवादी के पुत्र जितेन्द्र का है, जिसमें दोनों दिशाओं की तरफ पहले से ही दरवाजे हैं एवं पहले से ही दोनों तरफ से आवागमन है। वादीगण प्रतिवादी के मकान की तरफ गंदे पानी की नाली निकालना चाहते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी के मकानों के मध्य आम रास्ता है जिस पर से आवागमन करने का समस्त ग्रामवासियों को अधिकार है। वादीगण ने गलत तरीके से प्रतिवादी के मकान की तरफ नाली को दर्शाया है, जबकि प्रतिवादी के मकान की तरफ कोई नाली नहीं है। दिनांक 03.03.2014 को कोई घटना नहीं हुयी है। वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया है। गांव के सार्वजनिक रास्तों में सार्वजनिक नाली बनाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादी के मकान के बगल से नवीन नाली निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वादी के मकान के बगल से कोई नाली नहीं है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये जाकर उनके समक्ष निष्कर्ष निम्नानुसार अंकित किये गये:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ, ब से चिन्हित वाद ग्रस्त दीवाल पर नवीन दरवाजे का निर्माण करने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	अप्रमाणित।
2. क्या प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में क, ख से चिन्हित नाली में से होकर निकलने वाले वादीगण के मकानों के पानी के बहाव को रोकने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	अप्रमाणित।
3. क्या वादीगण द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	वाद मूल्यांकन समूचित है एवं न्यायशुल्क पर्याप्त अदा किया गया है।
4. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय	वाद निर्णय के पद क्रं0 12 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिये गये हैं कि स्वीकृत तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के दावे की पुष्टि वादीगण एवं प्रतिवादी की साक्ष्य से पूर्ण रूप से होती है। प्रतिवादी साक्षी क्रं0 1 ओमकार सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-9 में एवं प्रतिवादी साक्षी क्रं0 2 रवीन्द्र सिंह ने अपने कथन के पैरा-6 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ओमकार सिंह के मकान के पूर्वी दिशा वाली दीवार में दरवाजा नहीं है, प्रतिवादी नवीन दरवाजा बनाना चाहते हैं जिसे वादीगण रोकते हैं। इन तथ्यों एवं स्वीकारोक्ति पर विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद खारिज करने में गंभीर भूल कारित की है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विचार न करते हुये निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील स्वीकार करते हुये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2015 को अपास्त कर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुये वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुये व्यक्त किया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

7. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्न लिखित बिन्दु बिचारणीय है:-

1. क्या प्रतिवादी को अपने मकान के पूर्व दिशा की ओर गली में दरवाजा निकालने का अधिकार है और क्या प्रतिवादी के द्वारा विवादित दीवार पर नवीन दरवाजे का निर्माण करने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
2. क्या प्रतिवादी द्वारा विवादित नाली में से होकर निकलने वाले वादीगण के मकानों के पानी के बहाव को रोकने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
3. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2015 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-

8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा-6 में यह मान्य किया है कि वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त रास्ता



अर्थात् वादीगण और प्रतिवादी के मकानों के मध्य जो गली है उसका निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया है तथा वह पंचायती रास्ता है और वहां गांव के लोग आते-जाते रहते हैं जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त गली सार्वजनिक मार्ग है तथा सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी नागरिक को आने-जाने का अधिकार होता है तथा उसके बगल में बने मकान में सार्वजनिक गली की ओर दरवाजा बनाने का अधिकार होता है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष विधि सम्मत होना प्रकट होता है क्योंकि वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 स्वयं ने ही प्रतिपरीक्षण के पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता पंचायती रास्ता है, यहां तक स्वीकार किया है कि गांव में जो भी सार्वजनिक व पंचायती रास्ता है, उन पर निर्माण अधिकार पंचायत को होता है। उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके मकान के सामने गली पक्की है, जिसका पक्का निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया है।

9. पोखन सिंह वा0सा0 2 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-3 में यह बताया है कि वादी मोहन के घर के सामने का रास्ता सार्वजनिक एवं पंचायती रास्ता है। बृजेन्द्र वा0सा0 1 ने पैरा-11 में यह स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता सरकारी रास्ता है। स्पष्ट है कि उक्त गली जो बतायी है वह सार्वजनिक रास्ते के रूप में है, निश्चित तौर पर सभी के उपयोग के उक्त सार्वजनिक रास्ते के किनारे बने मकान वालों को उक्त रास्ते में दरवाजा निकालने का पूर्ण अधिकार है, उससे किसी के भी अधिकार का कोई हनन नहीं होता, क्यों कि रास्ते का अधिकार सभी के लिये है। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से सुखाधिकार का कोई आधार ही नहीं लिया गया है, ऐसा बताया ही नहीं गया है कि उक्त गली 20 वर्षों से अधिक समय से वादीगण के निजी उपयोग की है और उस पर किसी अन्य को दरवाजा निकालने और उसमें से आने-जाने का कोई अधिकार नहीं है अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष किसी भी तरह से अवैध या विधि विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। उक्त निष्कर्ष पूरी तरह से विधिसम्मत एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं पत्रावली के अनुकूल ही है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होती।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 :-

10. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-7 में वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 की साक्ष्य का वर्णन करते हुये ये निष्कर्ष दिया है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वयं की सम्पत्ति का किस प्रकार उपयोग करे। बृजेन्द्र

वा0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-7 में यह बताया है कि उक्त गली के एक तरफ नाली है, उक्त नाली से बहने वाले पानी का निकास गांव के पास एक तालाब में है, प्रतिवादी ने तालाब के पास जहां उसकी 10-12 फुट जमीन पड़ी है, उसमें से होकर नाली के पानी को तालाब में जाने से 2 वर्ष पहले रोक दिया। इस प्रकार वादीगण की ओर से जो वाद कारण बताया गया है वह यह है कि दिनांक 03.03.2014 को प्रतिवादी ने वादीगण को धौंस दी और कहा कि वे वादीगण के मकानों का पानी अपने मकान के सामने बनी विवादित नाली में से होकर नहीं निकलने देंगे जब कि वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 ने ऐसी साक्ष्य ही नहीं दी है कि दिनांक 03.03.2014 को ऐसी कोई घटना हुयी। इस प्रकार अपनी साक्ष्य में घटना की कोई दिनांक ही नहीं बतायी है।

11. वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण में विवाद का अन्य कारण यह बताया है कि प्रतिवादी ने तालाब के पास जहां उसकी 10-12 फुट जमीन पड़ी है, उसमें से होकर नाली के पानी को तालाब में जाने से 2 वर्ष पहले रोक दिया। इस प्रकार वादी की इस बिंदु पर साक्ष्य अभिवचन के अनुरूप ही नहीं है। वाद कारण भी अलग होना प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी ने अपनी प्रायवेट भूमि पर वादीगण का पानी जाने से रोक दिया था, जिसका प्रतिवादी को पूर्ण अधिकार है। वादीगण का ऐसा वाद नहीं है कि प्रतिवादी की 10-12 फुट जमीन में से होकर गंदे पानी का निकास का वादीगण को कोई सुखाधिकार प्राप्त हो। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष किसी भी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है।

12. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के पैरा-8 में यह निष्कर्ष दिया है कि नाली में से होकर पानी निकलने के संबंध में वादी बृजेन्द्र वा0सा0 1 और साक्षी पोखन वा0सा0 2 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास है। इस संबंध में बृजेन्द्र वा0सा0 1 पैरा-10 में यह बताया है कि बाबूलाल, सुल्तान सिंह, नाथू सिंह के मकान उसके मकान के बगल से ही बने हुये है और उनका पानी बम्हौरा रोड की तरफ निकलता है। पैरा-9 में यह बताया है कि उसका पानी बम्हौरा रोड की तरफ नहीं जाता है। जब कि वादी के साक्षी पोखन सिंह वा0सा0 2 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-3 में इस तथ्य से इंकार किया है कि बाबूलाल, सुल्तान सिंह व नाथूसिंह के घर का पानी बम्हौरा रोड की तरफ निकलता है। उसने यह बताया है कि आधा पानी मोहन सिंह के खंरजा में बनी हुयी नाली से होकर निकलता है, आधा पानी उसके विपरीत दिशा से होकर निकलता है।

13. वादीगण की ओर से यह साक्ष्य ही नहीं दी गयी है कि अमुक स्थान पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के निकास के पानी को विवादित नाली में रोका गया। अपितु रोकने का स्थान प्रतिवादी की प्रायवेट भूमि है, जिसमें से अन्य का पानी निकलने देने जाने से रोकने का प्रतिवादी को पूर्ण अधिकार है। वादीगण ने यह आधार भी नहीं लिया है कि नाली का पानी प्रतिवादीगण की भूमि से निकालने का उसका कोई सुखाधिकार है। वादीगण की ओर से न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर नियुक्त कराकर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भी तलब नहीं करायी गयी है कि किस स्थान पर नाली है और किस ओर निकास है तथा किस स्थान पर निकास के पानी को जाने से रोक दिया गया या रोकने का प्रयास किया गया। इस प्रकार वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी ने विवादित नाली में वादीगण के मकानों के पानी के बहाव को रोकने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया।

### विचारणीय बिन्दु कमांक-3:-

14. इस प्रकार अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा जो आधार अपील में लिये गये हैं वह अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रतिवादी को सार्वजनिक गली की ओर दरवाजा निकालने का कोई अधिकार नहीं है और यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रतिवादी ने वादीगण के मकानों के पानी के बहाव को रोकने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा विवादित दीवार पर निर्माण करने का प्रयास कर तथा विवादित नाली में से होकर निकलने वाले वादीगण के मकानों के पानी के बहाव को रोकने का प्रयास कर वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप करना अप्रमाणित मानते हुये उक्त निष्कर्ष देकर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2015 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

15. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत

अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुये वाद प्रश्न क्रमांक-1, एवं 2 पर जो निष्कर्ष दिया है वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त करने की जो आज्ञाप्ति दी गई है, वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

16. तदनुसार अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/डिक्री दिनांक 07.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

17. उभय पक्ष इस अपील का व्यय अपना अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 750/-रुपये लगाया जावे।

18. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड